भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 74
सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

74. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत नामांकित श्रमिकों की संख्या के बारे में राज्य/क्षेत्र-वार वर्तमान आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनौपचारिक क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कामगारों, जो ईएसआई योजना के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन बीमाकृत नहीं हैं, के बीच जागरूकता और नामांकन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) सरकार नामांकित श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने में ईएसआई योजना की प्रभावशीलता का आकलन किस प्रकार करती है और इस आकलन के आधार पर किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईएसआई योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं विशेष रूप से पहुंच और प्रतिक्रिया समय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ईएसआई योजना के तहत नामांकित श्रमिकों के लिए दावा प्रक्रिया और सेवा परिदान में देरी से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में दिनांक 31.3.2024 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के तहत नामांकित कर्मचारियों का विवरण संलग्न है।

(ख): ईएसआई अधिनियम उन कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो मौसमी कारखानों को छोड़कर 10 या अधिक व्यक्तियों (सरकारी कारखानों सहित) को रोजगार मुहैया कराते हैं और अधिसूचित क्षेत्र में 21,000 रुपये प्रति माह (निःशक्त व्यक्तियों के मामले में 25,000 रुपये प्रति माह) तक वेतन प्राप्त करते हैं। अतः यह अधिनियम अनौपचारिक क्षेत्रों (असंगठित क्षेत्र) पर लागू नहीं होता है। ईएसआईसी अपनी वेबसाइट और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ईएसआई योजना के लाभों के बारे में अवगत कराने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाता है।

(ग) से (ङ): कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईएस चिकित्सा अवसंरचना की समीक्षा करने और इसकी चिकित्सा अवसंरचना में सुधार और उन्नयन हेतु अंतराल क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कॉमन सपोर्ट मिशन तैयार किया है। चिकित्सा आयुक्त, जोनल ऑफिसर इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और निदानात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का नियमित दौरा करते हैं। इसके अलावा, मुख्यालय में नियमित बैठकों के माध्यम से भी प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। साथ में, ईएसआईसी ने रोगी देखभाल, सुरक्षा और सेवा देने हेतु उच्च मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सेवा स्तर तैयार किया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमित व्यक्तियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के दावों के समय पर निपटान हेतु नियमित निगरानी कर रहा है। फील्ड कार्यालयों को बिल प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का निपटान करने का निर्देश दिया गया है।

*****

अनुबंध

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संबंध में डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा दिनांक 25.11.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र .सं.	राज्य	कर्मचारी
	आंध्र प्रदेश	
1	I) विजयवाड़ा	594990
2	II) तिरुपति	270400
3	iii) विशाखापट्टनम	341380
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र	
4	असम	292640
5	अरुणाचल प्रदेश	1700
6	मेघालय	14360
7	नागालैंड	4500
8	त्रिपुरा	18380
9	मणिपुर	4300
10	मिजोरम	2550
11	बिहार	418110
12	चंडीगढ़ (यूटी)	124700
13	छत्तीसगढ़	525460
	दिल्ली	
14	I) राजेंद्र प्लेस	294560
15	ii) नंद नगरी	157820
16	iii) रोहिणी	219520
17	iv) ओखला	511700
18	गोवा	174170
	गुजरात	
19	i) अहमदाबाद	750680
20	ii) वडोदरा	423870
21	iii) सूरत	451780
	हरियाणा	
22	I) फरीदाबाद	888450
23	II) गुड़गांव	1067750
24	iii) करनाल	288850
25	हिमाचल प्रदेश	345100
26	जम्मू और कश्मीर	126580
27	झारखंड	487560
	कर्नाटक	

28	i) बैंगलुरु	867770
29	ii) हुबली	355490
30	III) पीनाया	452430
31	IV) बोमासुंदर	594510
32	V) गुलबर्ग	183620
33	VI) मैसूर	245880
34	vii) मंगलूर	185780
	केरल	
35	I) त्रिशूर	146310
36	II) एर्नाकुलम	359010
37	III) कोल्लम	124400
38	IV) कोझीकोड	157170
39	v) तिरुअनंतपुरम	118750
	मध्य प्रदेश	
40	i) इंदौर	639480
41	ii) भोपाल	441570
	महाराष्ट्र	
42	i) लोअर परेल	427840
43	ii) मरोल	659790
44	iii) थाणे	676540
45	iv) नागपुर	361730
46	V) औरंगाबाद	284160
47	v) पुणे	1327730
48	VI) नासिक	247920
	ओडिशा	
49	i) भुवनेश्वर	695000
50	ii) झारसुगुडा	217020
51	पुडुचेरी और माहे और यनम	101180
	पंजाब	
52	I) चंडीगढ़ (पंजाब)	474100
53	II) जालंधर	305400
54	III) लुधियाना	393020
	राजस्थान	
55	I) जयपुर	686090
56	ii) उदयपुर	223500
57	III) जोधपुर	196150
58	iv) अलवर	282690
59	सिक्किम	25970
	तमिलनाडु	

60	i) चेन्नई	1709800
61	ii) अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5010
62	iii) त्रिरुनेलवेली	196440
63	iv) सलेम	525830
64	v) कोयम्बटूर	781290
65	vi) मदुरै	437820
66	तेलंगाना	1553610
	उत्तर प्रदेश	
67	I) कानपुर	507350
68	ii) वाराणसी	145960
69	III) नोएडा	1257530
70	IV) लखनऊ	602550
71	उत्तराखंड	583850
	पश्चिम बंगाल	
72	i) कोलकाता	1320800
73	ii) बैरकपुर	304290
74	III) दुर्गापुर	295130
सम्पूर्ण भारत		31487120

*****